न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 114/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. मंगलाराम पुत्र धीमाराम 2. मालाराम पुत्र धीमाराम 3. पारू पत्नी धीमाराम 4. बरजू पुत्री धीमाराम 5. मीरगों पुत्री धीमाराम 6. एलची पुत्री धीमाराम 7. बाधू पुत्री धीमाराम 8. सोमारी पुत्री धीमाराम 9. सुगनी पुत्री धीमाराम जातियान विश्नोई निवासीगण भईयों की ढाणी तहसील लोहावट जिला जोधपुर।		1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, लोहावट जिला जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत आदेश जो उपखण्ड अधिकारी, फलौदी,जिला जोधपुर के द्वारा पारित आदेश कमांक विविध/2018/445 दिनांक 04.07.2018 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः—

1— श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।

2—श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 13 अप्रेल, 2023

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टस की मौजा भईयों की ढाणी तहसील लोहावट के ख0सं0 190 का रकबा 5.09 बीघा, ख0सं0 200 का रकबा 93.10 बीघा, ख0सं0 217 का रकबा 17 बिस्वा गैर मुमकीन, ख0सं0 218 रकबा 16.08 बीघा, ख0सं0 287 रकबा 32.06 बीधा है जिस पर मौके पर अपीलान्टस काबिज काश्त है। उक्त खसरा संख्या 20 का रकबा 93.10 बीघा में से अपीलान्टस की बिना सहमति के 10 बिस्वा भूमि में गैर मुमकीन रास्ता घोषित किये जाने बाबत, बिना नोटिस दिये, बिना सुनवाई का अवसर दिये ही इसी ग्राम के अन्य खसरो सहित अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फलौदी के द्वारा दिनांक 04.07.2018 को गैर मुमकीन रास्ता घोषित किये जाने का आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दौरान सुनवाई अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलाधीन आदेश जारी होने से पूर्व में भी अपीलान्टस के इसी खसरा संख्या 200 में से रास्ता दे दिया गया था ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार लोहावट के द्वारा न तो मौके का निरीक्षण किया गया और न ही प्रकरण दर्ज कर अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर दिया गया बल्कि ग्राम पंचायत के

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

अपीलान्टस खातेदारान के बिना सहमति के अपीलान्टस की भूमि में से रास्ते के रूप में कम कर दी गई। पटवारी हल्का द्वारा जो नक्शा बनाकर पेश किया गया उससे स्पष्ट है कि अपीलान्टस के ख0सं0 200 में पहले से ही आम सडक जो कुशलावा जालोडा से आगक जाती है, उसी सडक को जोडने के लिये एक अन्य मार्ग और निकाल दिया गया। ऐसे में एक ही खेत में से दो मार्ग नहीं निकाले जा सकते है। उक्त मार्ग निकाले जाने हेतु अपीलान्टस की कोई सहमति नहीं ली गई और न ही सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया। ऐसे में अपीलाधीन आदेश काबिल खारिज होने से निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांट ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा एकतरफा कार्यवाही करते हुए दिनांक 4.7.2018 को उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसकी अपीलान्टस को पूर्व में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। हाल ही में दिनांक 25.06.2019 को मौके पर आकर लोगों ने बताया कि ख0सं0 200 में से 10 बिस्वा भूमि को गैर मुमकीन रास्ते के लिये आदेश हुए है तब उनके द्वारा अपीलाधीन आदेश की नकले प्राप्त करने हेतु आवेदन किया एवं नकले प्राप्त करते हुए एक माह के भीतर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जावे तथा अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जावें।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्टस की अपील को स्वीकार किया जावे एवं उपखण्ड अधिकारी, फलौदी के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.7.2018 के द्वारा ग्राम भईयों की ढाणी तहसील लोहावट के अपीलान्टस की ख0सं0 200 रकबा 93.10 बीघा भूमि में से 10 बिस्वा भूमि को गैर मुमकीन रास्ते घोषित किये जाने के सम्बन्ध में पारित आदेश को निरस्त किया जावे एवं इस भूमि का नामा0 संख्या 425 दिनांक 28.2.2019 को अपास्त किया जावें।

प्रत्युतर में उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार लोहावट की ओर से ग्राम भईयों की ढाणी के उपरोक्त विभिन्न खसरान भूमि में चल रहे कदीमी रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि की किस्म गैर मुमकीन रास्ता घोषित कर नक्शा शुद्धि व राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने हेतु निवेदन किया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.7.2018 के द्वारा उपरोक्त खसरान भूमि में से कदीमी रास्ते के उपयोग में आ रही खसरान की रकबा भूमि को राजस्व अभिलेख में रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है, जो बहाल रखे जाने योग्य है अतः उक्त अपील अस्वीकार की जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो, अपीलांधीन आदेश दिनांक 4.7.2018 का अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया गया कि तहसीलदार लोहावट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे मौका पर चल रहे स्थाई/कदीमी रास्तो को राजस्व अभिलेख मे दर्ज किए जाने हेतु प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी को प्रस्तुत किया गया। चूंकि व्यापक जनहित मे ...

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त * जोधपुर *

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

करते हेतु अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर टिप्पणी नही करते हुए तहसीलदार लोहावट को निर्देशित किया जाता है कि उपयपक्षकारान की उपस्थिति मे मौका जांच कर प्रकरण का निस्तारण करे। कोई भी पक्ष कदीमी रास्ता बन्द नही करे। उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायलय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(ओ0पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर